^^uxjh; laLFkkvksa esa fu.kZ;u % ukxkSj ftys ds MhMokuk uxjikfydk ds fo'ks"k lUnHkZ esa ,d v/;;u^^

‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’’

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

वे पीएच.डी का लघुसार (Synopsis)

निर्देशक

जेनीएन प्रोफेसर (डॉ.) एल.के. शर्मा

शोधार्थी

जेवीएन अजय रत्न सोनी

JVR-I/21/5836

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) भारत

2021

^^uxjh; lLFkkvksa esa fu.kZ;u % ukxkSj ftys dh MhMokuk uxjikfydk ds fo'ks"k lUnHkZ esa ,d v/;;u^^

1- i`"BHkwfe &

भारत में स्थानीय शासन प्राचीनकाल से किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारूप सामने आया, वह ब्रिटिश शासन की विरासत में हम देखते हैं। ब्रिटेन की तरह भारत में भी स्थानीय स्वशासन को दो भागों में क्रमशः नगरीय तथा ग्रामीण में बाँटा गया है। नगर क्षेत्रों के तहत – नगर निगम या नगर महापालिकाएँ, नगरपरिषद्, नगरपालिका, नगर सुधार न्यास तथा पॉर्ट ट्रस्ट आदि की व्यवस्था की गयी है। नगरीय शासन क्षेत्रों में विशेष रूप से महानगरों, नगर नियमों तथा छोटे नगरों में नगरपरिषदों तथा नगरपालिकायों का गठन किया गया है। भारत में 74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 343 क तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिससें कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात वित्तीय साधनों की दृष्टि से तीन प्रकार की परिषदों की व्यवस्था की गयी है– (1) नगर पंचायतों या कोई अन्य नाम ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र के लिए, (2) छोटे शहरों के लिए नगरपरिषद् अथवा नगरपालिकाएँ तथा (3) महानगरों के लिए नगर निगम। इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

नगरपालिकाओं के लिए भारतीय संविधान में 9क, 1 जून,1993 को प्रवृत्त हुआ था। इस भाग के कुछ उपबंध भाग 9. के उपबंधों के समान है, जैसे स्थानों का आरक्षण, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग इत्यादि। इस भाग में दो प्रकार के निकायों का गठन किया गया– (1) स्वायत्त शासन की संस्थाएँ (अनुच्छेद 243 ब) और (2) योजना संस्थाएँ (अनुच्छेद 243 य और अनुच्छेद 243 य ड़) स्वायत्त की संस्थाओं को एक साधारण संज्ञा ''नगरपालिका '' दी गई है, ये निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है – (क) नगरपालिका, (ख) नगरपरिषद्, (ग) नगर निगम 12वीं अनुसूची में 18 मदें है, उदारणार्थ नगर योजना भूमि के उपयोग का विनियमन, मार्ग और पुल, जलप्रदाय, लोग स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ, नगरवानिकी, मलिन बस्ती की सफाई आदि।

राजस्थान की वर्तमान सरकार ने 2021 में 17 नई नगरपालिकाओं का गठन किया, जिसके बार नगरपालिकाओं की संख्या बढकर 213 हो गई है जिनमें 10 नगर निगम, 35 नगर परिषदों और 168 नगर पालिकाओं हैं, 2021 के बजट में 2 ओर नगर पालिका का गठन हुआ, जिसमें नागौर के बोरावड़ तथा अलवर जिले की गोविन्दगढ़ में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं की घोषणा की गई है, वर्तमान में इस समय 215 नगर निकाय बन गये।

MhMokuk uxjikfydk % ,d ifjp;

डीडवाना नगरपालिका 27° 25′ उत्तरी अआंश तथा 24° 25′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1100 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व डीडवाना की वर्तमान स्थिति से 5 कि.मी. दूर पूर्व में आभानगरी के नाम से यह विकसित हुआ था, ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर पूर्व आभानगरी की स्थापना 43 से 255 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के समय हुई। स्थानीय ख्याति के अनुसार क्षत्रय साम्राज्य के शासकों के आक्रमणों से यह बस्ती उजड़ गई तथा इस बाद में नगरी के प्रधान वजीर शेषराम महेश्वरी के पुत्र डीडूशाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की थी। डीडूशाह के नाम पर ही इसे डीडूवाणक नाम से भी जाना जाता था और उनके नाम से ही डीडवाना नामकरण हुआ इसे कालांतर में अपभ्रंशित होकर डीडवाना नाम से प्रस्थात हुआ।

2- “kks/k mís”; &

प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य नगरपालिका स्थानीय शाससन में निर्वाचन की भूमिका का विशेष रूप से राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना नगरपालिका का एक अध्ययन करना रहेगा, जिसमें नगरपालिका डीडवाना बैठकों की कार्यवृत्त का अध्ययन किया जायेगा, जिसमें निर्णयन लेते समय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाईयों के अध्ययन के साथ–साथ ही, उनका हल किसी प्रकार से निकाला जाता है, का अध्ययन करना रहेंगा। जनप्रतिनिधियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इत्यादि स्तर का निर्णयन प्रक्रिया में लेने मे आने वाली बाधा का अध्ययन करना, क्या इनके आयु का इस पर प्रभाव पड़ता है, इस शोध में विशेष रूप से 1 जनवरी, 2018 से लेकर 31 दिसम्बर, 2022 तक (पाँच वर्षों) का अध्ययन किया जायेगा। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, अध्ययन के उद्देश्यों को तय किया जाएगा–

– निर्णयन क्या है?

– निर्णयन प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है ?

– निर्णयन प्रक्रिया की क्रियान्विति हुई है या नहीं ?

– निर्णयन क्रियान्विती मे कितना समय लगा और क्यों नहीं क्रियान्विति हुई ?

– निर्णयन प्रक्रिया की क्रियान्विति मे किसकी भागीदारी रही?

– नगरपालिका की बैठक क्रमबद्ध नियनानुसार हुई या नहीं, नहीं हुई तो क्या कारण रहा ?

– कितनी बैठाकों की गणपूर्ति रही या नहीं ?

– आरक्षित जनप्रतिनिधित्व की भूमिका कैसी रही ? इत्यादि को ज्ञात करना ।

3- lkfgR; voyksdu &

इस शोध में निर्णयन के माध्यम से नगरपालिका की निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायेगा। वास्तव में निर्णय शब्द अंग्रेजी भाषा के (डिसीशन) का हिन्दी रूपान्तरण है। हर्बर्ट साइमन (एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर) तथा उसके अनुयायियों का मत रहा है कि कोई भी अध्यक्ष जब निर्णय लेता है तो उस पर संगठन के कार्यकर्त्ताओं तथा बाहरी परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। साइमन में लिखा कि यदि एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह निर्णय पूरी तरह से बौद्धिक नहीं हो सकता। गोरे तथा डाइसन ने निर्णय व्यक्तियों के सहयोग पूर्ण प्रयासों का परिणाम को माना है। रिचर्ड सी. स्नाइडर, एच. डब्ल्यू ब्रक तथा बर्टन एम. सेपिन ने अपनी पुस्तक ''दी डिसीशन मैकिंग इज एन एप्रोच टू दी स्टडी ऑफ इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स'' में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय प्रक्रिया के महत्व को समझाने का प्रयास किया है, इन्होंने अपना अध्ययन दो प्रकार से विश्लेषित किया है – (क) अन्तः सम्बन्धों के आधार पर तथा (ख) निर्णय प्रक्रिया के आधार पर। निर्णयन प्रक्रिया का राजनीतिक विज्ञान, लोकप्रशासन, कुटनीति, विदेशनीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में नगरों की बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाली अनेकों समस्याओं के अध्ययन के लिए नगरीय संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करना अति आवश्यक है।

– वाल्डो, डूवाइट ने (2017) में अपनी पुस्तक ''द एडमिनिस्ट्रेटिन स्टेट ए स्टेडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्टेशन'' को तीन भागों को 11 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें अच्छा जीवन, विकेन्द्रीकरण, उपयोगितावाद इत्यादि का विश्लेषण किया है।

– शर्मा (डॉ.) रश्मि (2020) के स्थानीय स्वशासन'' को 12 अध्यायों में विभक्त किया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन अर्थ, उत्पत्ति एवं विकास, 73 वाँ तथा 74 वाँ संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरीय स्थानीय स्वशासन : संगठन एवं शक्तियाँ, वित्तीय प्रशासन, नौकरशाही, ंमहिला आरक्षण तथा सम्भावनाएँ तथा महत्व का अध्ययन किया है।

– जौहरी (डॉ.) जे.सी (2020), ने अपनी पुस्तक ''भारतीय संविधान'' को 16 अध्यायों में विभक्त किया है, जिसमें अध्याय 15 में स्थानीय स्वशासन : अर्थ, उत्पत्ति एवं विकास तथा अध्याय 16 में 72 वाँ और 74 वाँ संविधान का विवेचना की है।

– चौपड़ा (डॉ.) सरोज बाला ने अपनी पुस्तक ''स्थानीय प्रशासन'' में भारतीय नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक, संरचना, स्वरूप, कार्य, शक्तियाँ तथा स्थानीय प्रशासन एवं शहरीकरण के सन्दर्भ में लिखा तथा स्थानीय प्रशासन की आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

– शर्मा, हरिशचन्द्र ने अपनी पुस्तक ''भारत में स्थानीय प्रशासन'' में नगरीय स्थानीय निकायों पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका न्यायपालिका में नियंत्रण की आवश्यकता के सन्दर्भ में लिखा है।

– महेश्वरी, श्रीराम ने अपनी पुस्तक भारत में स्थानीय शासन में स्थानीय शासन का इतिहास, नगरीय शासन एवं सम्बन्धित सुधार नगर नियोजन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण आय के स्त्रोत तथा इन संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट किया तथा नगरीयकरण की समस्या के समाधन पर विशेष जोर दिया।

– फाइनर, हरमन द्वारा रचित पुस्तक ''लोकल गवर्नमेन्ट'' मे जिस श्रेणी में संघवाद तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, उसी में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रयोग का भी गिनाया है। समूह के अत्याचारों, समतलन, मानकीकरण तथा व्यक्तियाँ एवं व्यक्ति समूहों के प्रति परम्परागत घृणा से बचाव के साधन के रूप में है। इन्होंने कहा कि ये लोकतत्रं की जड़ें हैं इन्हें अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

– शर्मा (डॉ.) रविन्द्र द्वारा रचित पुस्तक में स्थानीय प्रशासन में नगरीय ग्रामीण प्रशासन से सम्बन्धित सैद्धान्तिक और संस्थागत प्रक्रियाओं है। जिसमें नगरीय और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की संरचना, कार्मिक तथा वित्तीय प्रशासन पर राज्य द्वारा नियत्रंण इनकी स्वायत्तता उत्तरदायित्व आदि बिन्दुओं की तरफ ध्यान केन्द्रित किया।

– शर्मा (डॉ.) पी.डी. एवं ग्रोवर (डॉ.) श्रीमती नीलम द्वारा रचित पुस्तक ''भारत में लोकप्रशासन'' में सचिवालय, स्थानीय निकाय विभाग और निदेशालय के पारस्परिक सम्बन्ध और उनकी भूमिका की विस्तृत व्याख्या की है।

– स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर एवं यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित 'जनशक्ति' पुस्तक में स्वायत्ताशासी संस्थाओं तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 74 वाँ संविधान अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान का अध्ययन किया गया है।

– मुंदडा (डॉ.) निशा ने (2010) अपनी पुस्तक ''नगरीय स्वप्रशासन और महिला प्रतिनिधित्व'' में राजनीति मे महिला प्रतिनिधित्व, नगरीय स्वशासन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उदयपुर नगर परिषद् का परिचय, भौगेलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरण तथा समितियों एवं साधारण सभा एवं सभापति, नेतृत्व इत्यादि का वर्णन किया जाता है।

– कुमार, राजेन्द्र ने (2008) ''रूरल एण्ड अरबन गवर्नमेन्ट'' में निम्नलिखित तथ्यों को व्यक्त करने का प्रयास किया हैं, जिनमें प्रमुख हैं – ग्रामीण सरकार, ग्राम सभा, पंचायत की प्रक्रिया, राज्य स्थानीय सरकार, शहरी स्थानीय सरकार का इतिहास, नगरीयकरण की प्रक्रिया, 73 वाँ तथा 74 वाँ संविधान संशोधन, पंचायती राज तथा नियन्त्रण करने की प्रक्रिया इत्यादि।

– गुप्ता (डॉ.) विजय कुमार तथा वर्मा, रविन्द्र कुमार (शोधार्थी) ने अपने लेख '' जयपुर शहर में नगरीकरण की अभिवृत्ति एक अध्ययन'' में लिखा है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाती है तथा बताया की नियोजित

आकारिकी के नगरों में आवसीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और परिवहन की व्यवस्था के सम्मिलित रूप में ही नगर का गठन होता है तथा नगर का व्यक्तित्व इन्हीं के द्वारा निर्मित होता है।

– अग्रवाल (डॉ.) शिवाली तथा वर्मा (कु) सोनिया (शोधार्थी) ने अपने लेखक ''भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीनकाल में वर्तमान समय तक'' में लिखा है कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़े महाजनपद में वैदिक में तथा उत्तरवैदिक काल में भी मिलती है, इन्होंने –उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1959, 1961 तथा 1916 को व्यक्त किया है तथा अन्त में लिखा है कि स्थानीय प्रशासन जितना अच्छा होगा, देश का विकास उतना ही अच्छा होगा।

– शर्मा (प्रो.) अशोक (2010) ने अपनी पुस्तक ''भारत से स्थानीय प्रशासन'' में स्थानीय स्वशासन अर्थ, स्वरूप और आधुनिक राज्य का महत्व, संस्थाओं का विकास, संगठनात्मक संरचना, कार्य तथा शक्तियाँ, नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिका का संगठन तथा कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, ग्राम सभा, वार्ड समाएँ, नगरीय संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन नगरीय संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण, निदेशालय तथा पंचायती राज विभाग इत्यादि का वर्णन मिलना है।

– शर्मा (प्रो.) रविन्द्र (2010) ने अपनी पुस्तक ''भारत में स्थानीय प्रशासन'' 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं – स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवं महत्व, एक ऐतिहासिक सन्दर्भ, 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, ग्राम सभा और वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् तथा पंचायती राज संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन, वित्तिय प्रशासन, नगरीय स्थानीय स्थापत्त शासन, निकायों की संरचना, कार्य व शाक्तियाँ, नगर परिषद्/ नगरपालिका बोर्ड, नगर निगम और उनकी स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व कार्मिक प्रशासन, वित्तिय प्रशासन, राज्य वित्त आयोगों का गठन और उनका कार्यकरण, संस्थाओं पर राज्य द्वारा नियन्त्रण, ग्रामीण विकास, निदेशालय इत्यादि।

– चौपड़ा, (डॉ.) सरोज (2000) ने अपनी पुस्तक ''स्थानीय प्रशासन'' को 12 अध्यायों में विभक्त किया हे तथा अध्यायों को चार खण्डों में विभाजित कर अध्ययन किया है, जिसमें परिचयात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, नगरीय स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन की समस्याएँ इत्यादि का अध्ययन मिलता है।

– जोशी, (डॉ.) आर. पी तथा मंगलानी, (डॉ.) रूपा (सं.) (2003) अपनी पुस्तक ''भारत में पंचायती राज'' में अनेक लेखकों ने पंचायती राज के सन्दर्भ में लिखा है, इसमें वैचारिक आयाम, विकास यात्रा, मानव विकास, संगठनात्मक एवं कार्यात्मक पहलू, कार्मिक प्रशासन, सामाजिक न्याय, महिला आरक्षण, महिलाओं की सहभागिता, वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय संसाधन, विकेन्द्रित आर्थिक विकास, स्वयंसेवी संस्थाओं, राजकीय नियंत्रण, राजनीतिक दलों की भूमिका, जिला सरकार, जनजाति उप–योजना क्षेत्र, पारदर्शी प्रशासन, सामाजिक अंकेक्षण, ई–गवनैस, मूल प्रश्न एवं प्रवृत्तियाँ इत्यादि।

4- “kks/k i)fof/k &

इस अनुसंधान में डीडवाना नगरपालिका की निर्णयन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसमें ऐतिहासिक, सवैक्षण तथा तुलनात्मक अध्ययन के साथ में व्यक्तिवृत्त अध्ययन (Case Study) के माध्यम में किया जाएगा, जैसाकि अनुसंधान अंग्रेजी के Research को कहते हैं अर्थात् Re बार–बार + Search खोजना। यहाँ हम कह सकते है कि किसी समस्या या प्रश्न को बार–बार खोजने का प्रयास करना, यह एक शोधार्थी का मूल कर्त्तव्य होता है, इस शोध में निदर्शन (Sampling) प्रविधि का भी प्रयोग किया जाएगा।

शोध को पूर्ण करने के लिए दोनों तरह के स्त्रोंतों का प्रयोग में लेना लोकप्रशासन जैसे विषय में अति आवश्यक होता है, अतः यहाँ भी प्राथामिक प्रथा द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से तथ्य सामग्री का अध्ययन किया जाएगा अर्थात् आँकड़ों (तथ्य) के स्त्रोत का प्रयोग करेगें जिसमें निम्नलिखित प्रकार में रहेगें– प्राथामिक स्त्रोतों में सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, अर्द्धसहभागी निरीक्षण, साक्षात्कार तथा अनुसूचियों का प्रयोग किया जायेगा, जो प्रत्यक्ष स्त्रोत होंगे तथा अप्रत्यक्ष स्त्रोत में प्रश्नावली, दूरभाष/मोबाईल में साक्षात्कार लेना, पैनल पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीयक स्त्रोतों में विशेष रूप से व्यक्तिगत प्रलेख, जिसमें जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र, संस्मरण का प्रयोग होगा, वहीं सार्वजनिक प्रलेख, के प्रकाशित प्रलेख में रिकोर्ड, प्रकाशित आँकड़ें तथ्य, पत्र–पत्रिकाओं की रिपोर्ट, विविध सामग्री (पुस्तकें, उपन्यास इत्यादि) का प्रयोग किया जायेगा तथा अप्रकाशित प्रलेखों में विशेष क्रम में गोपनीय रिकार्ड, दुर्लभ हस्तलेख, शोध रिपोर्ट इत्यादि का प्रयोग करने का प्रयास किया जायेगा।

5- “kks/k ijd iz”u &

अनुसंधान का प्रारम्भ करने पूर्व शोधार्थी के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होना लाजमी होता है और इसी के साथ में अनेक समस्याओं का विश्वसनीय निदान करने का प्रयास शोधार्थी को करना उसका कर्त्तव्य है। नवीन समस्याओं पर नवीन प्रश्नों के उत्पन्न होने के अभाव में शोध कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः अनेक प्रश्नों का शोध कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः अनेक प्रश्नों का उत्पन्न होना जायज है, जैसे–

– भारत में नगरीय संस्थायें क्यों बनीं, नगरीय संस्थाओं का ऐतिहासिक प्रारूप क्या रहा ?
– वर्तमान में नगरपालिका के जनप्रतिनिधि निर्णय कैसे लेते है ?

– नगरपालिका की बैठक वृत्त कैसी होती है और कितने समय बाद बैठकों को आहुत किया जाता है ?

– नगरपालिका में जनप्रतिनिधियों की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक स्तर का क्या निर्णय लेने में प्रभाव पड़ता है ?

– आरक्षण प्राप्त जनप्रतिनिधियों की बैठकों में भूमिका किस प्रकार की रहती है ?

– क्या संविधान के बताएँ गये 18 विषयों पर निर्णय लिया जाता है या उससे इतर भी निर्णय लेती है या कम विषयों पर निर्णय लिया जाता है ?

– क्या नगरपालिकाओ द्वारा लिये गये सभी निर्णयों की क्रियान्विति हुई या नहीं ? यदि हुई तो कितने प्रतिशत हुई यदि नहीं हुई, तो कितने निर्णयों की क्रियान्विति नहीं हुई, निर्णय क्रियान्विति नहीं होने के कारण क्या रहें ?

– कैसे निर्णयों की क्रियान्विति होती है, बजट का संकलन कहाँ से होता है ? इत्यादि का अध्ययन किया जाने का एक सफलतम प्रयास की जायेगी।

6- “kk/k ifjdYiuk,¡ &

शोध कार्य के लिए यह आवश्यक होता है कि शोधार्थी को क्या करना है? अर्थात् उसकी प्रविधि से कोई सार होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा शोध कार्य करने में कठिनाइयाँ आती है और शोधार्थी अपने शोध से भटक सकता है अतः इस शोध में विशेष रूप से भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिला के डीडवाना नगरपालिका का अध्ययन निर्णयन प्रक्रिया के सन्दर्भ में करना आवश्यक है। इस शोध में निम्न परिकल्पनाएँ हम कर सकते हैं – जैसे निर्णयन लेने में जनपतिनिधि समक्ष होते है तथा नियामानुसार विधि अनुसार नगरपालिका की बैठकों का आयोजन होता है, जिससें सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, निर्णयन लेने में जनप्रतिनिधि बैठक पूर्ण ही अपने–अपने दूरभाष या मोबाईल दूसरों से सम्पर्क करके लेते है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण रूप से तो निर्णयों की क्रियान्विति नहीं होती है, या फिर प्रयास करने में जनप्रतिनिधियो को सहयोग प्राप्त होता है अन्यथा जनप्रतिनिधियो को कार्य करने में दुविधा होती होगी। निर्णयन लेने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक के अलावा जनप्रतिनिधियो की आयु का भी महत्व होगा, अधिक अनुभवी व बार–बार निर्वाचित होने वाल पार्षद निर्णय लेने में अपनी भागीदारी ज्यादा निभाता होगा इत्यादि।

vuØef.kdk ¼v/;k; dh :ij[kk½

1. विषय का परिचय
2. शोध प्रविधि
3. साहित्य समीक्षा
4. नगरपालिका : वैकासिक परिप्रेक्ष्य एवं अवधारणाात्मक विश्लेषण
5. नगरीय संस्थायें : संरचानात्मक एवं कार्यात्मक पहलू
6. निर्णयन प्रक्रिया, उसका प्रभाव का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य
7. निष्कर्ष एवं सुझाव

“kk/k dk;! ;ktuk **(Research Work Plan)**

इस शोध कार्य के प्रतिरूप को समय–समय पर तथ्यों का आंकलन, साहित्य समीक्षा, शोध प्रविधियाँ के तहत सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाएगा, इसमें विशेष रूप से 2

वर्ष में शोध कार्य पूर्ण करने का प्रयास रहेगा, तथा प्रथम छः माह में अध्याय 1 एवं 2 को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा, इसमें छः माह में अध्याय 3 को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा, तीसरे छः माह में अध्याय 4,5 एवं 6 से सम्बन्धित तथ्यों का संग्रह करना, प्रश्नावली अनुसूची से प्रश्नों के माध्यम से प्रतिनिधियों, अधिकारियों क्रियाओं तथा आम जनता से विचारों को ज्ञात कर, सारणियन, सांख्यिकी इत्यादि से तुलनात्मक अध्ययन करना तथा पुस्तकों, लिखित, प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण कर अध्यायों की रचना की जाएगी तथा चतुर्थ छः माह में निष्कर्ष एवं सुझाव को लिखा जायेगा तथा साथ सन्दर्भ ग्रन्थं सूची को तैयार कर सारांश एवं शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय में जाँच हेतु जमा करवाने का प्रयास रहेगा।

lUnHk xUFk lph ,o oc fyd

vulph

vul/kku y[k

egkRoi.k “kCnkoyh

lUnHk xUFk lph rFkk oc fyd&

1. खान, मुतलिब ''थ्योरी ऑफ लॉकल गर्वनमेण्ट, नई दिल्ली, 1983
2. खान असलम ''डीसेन्टरलाइजेशन एवं डेबलपमेन्ट एक्ट '' द हिन्दू, 24 मार्च, 1994
3. बसु, दुर्गादास – 'भारत का संविधान : एक परिचय', ''प्रेटिंस हॉल, इंडिया .
4. शर्मा, रामाकिशन (प्रबन्ध सम्पादक) – ''मरूधरा का वैभव : डीडवाना'', 1991
5. फडिया, बी.एल और फड़िया, कुलदीप ''लोकप्रशासनः प्राशासनिक सिद्धान्त एवं . अवधारणानाएँ : भारत में लोकप्रशासन'' साहित्य भवन पब्लिकेशनस, आगरा, 1985
6. अल्तेकर, अनन्द सदाशिव'' (2004) ''प्राचीन भारतीय शासन पद्धति'', प्रयाग भारती भण्डार, नई दिल्ली
7. जैन, बी.एम. – ''रिसर्च मैथ्डोलॉजी'' रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, पुनः मुद्रित, 2011
8. 74 वें संशोधन अधिनियम के पाठ के लिए (नगरपालिकाओं से सम्बधित) (अनुच्छेद 243त से 243 यछ)
9. बसु, दुर्गादास' कॉंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्टस, 7 वाँ संस्करण, पृष्ठ 177–181
10. बसु, दुर्गादास ''शार्टर कॉस्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया'' 11वां संस्करण
11. माहेश्वरी, एस. आर. (2017) ''भारत में स्थानीय स्वशासन'', लक्ष्मी नायरण अग्रवाल, आगरा
12. खत्री, हरीश कुमार (2016) ''भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन'', : कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
13. सिंह, (डॉ.) होशियार (2016) ''भारतीय प्रशासन'', किताब महल, इलाहाबाद

14. बर्थवान, चन्द्रप्रकाश (2016) ''स्थानीय स्वशासन'', सुलभ प्रकाशन अशोक मार्ग, लखनऊ
15. मुखर्जी, राधा कुमुद (2017) ''प्राचीन भारत में स्थानीय सरकार'', मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली
16. माहेश्वर, एस.आर.. (2017) '' भारत में स्थानीय स्वशासन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
17. शर्मा (डॉ.) हरिशचन्द्र (2015) ''भारत में स्थानीय प्रशासन'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
18. अल्तेकर, ए.एस (1955) ''स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन एनशिएण्ड इण्डिया'', मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
19. अग्रवाल, अमित (2010) ''भारत में नगरीय समाज'', विवके प्रकाशन, दिल्ली
20. अवस्थी, ए.जी. (2001) ''विकास प्रशासन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
21. गोडवान, गौरव (2010) ''महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाज शास्त्रीय अध्ययन'' राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
22. आहूजा, राम (2003) ''सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर
23. अरोड़ा, भाट के. (1979) ''पीपूल्स पार्टिसिपेशन इन डवलपमेंट प्रोसेस'', जयपुर एम.सी. एम स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिटस्ट्रेशन
24. शर्मा, अशोक (2011) ''भारत में स्थानीय स्वशासन'', आर.बी. एस.ए पब्लिकेशन, जयपुर
25. शर्मा, (प्रो.) रविन्द्र (2010) ''भारत में स्थानीय प्रशासन'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
26. जोशी, (प्रो.) आर.पी. व मंगलानी, रूपा (2007) ''पंचायती राज के नवीन आयाम'', युनिवर्सिटी बुक हाऊस लि., जयपुर
27. देसाई, ए.आर (1978) ''रूरल सोसियोलॉजी इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई
28. शर्मा (डॉ.) प्रभुदत्त (1986) ''ग्रामीण स्थानीय प्रशासन'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
29. सिंह, बामेश्वर (2005) ''भारत में स्थानीय स्वशासन'', राधा प्रकाशन, जयपुर
30. जैन, एल.सी. (2005) ''डिसेन्ट्रलाइजेशन एण्ड लोकल गर्वनेंस'', ऑरिएण्ट लौंगमैन, नई दिल्ली
31. पटनी, चन्द्र (2006) ''ग्रामीण स्थानीय प्रशासन'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
32. शर्मा (प्रो.) अशोक (2016) ''भारत में स्थानीय प्रशासन'', आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन, जयपुर
33. चौपड़ा (डॉ.) सरोज (2000) ''स्थानीय प्रशासन'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
34. 'महिपाल (2004) ''पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया ''नई दिल्ली प्रथम संस्करण
35. जोशी (प्रो.) आर.सी. तथा भारद्वाज डॉ. अरूणा (2009) ''भारत में ग्रामीणा एवं शहरी स्थानीय शासन ''राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण
36. शर्मा हरिशचन्द्र (2005) ''भारत में स्थानीय प्रशासन'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
37. डीडवाना मास्टर प्लान (1998–2023), नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार

38. वाल्डो, डूवाइट (2017) ''द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटः ए स्टेडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन''
39. शर्मा (डॉ.) रश्मि (2020) ''स्थानीय स्वशासन'', एस.बी. पी.डी पब्लिकेशन, आगरा
40. जौहरी (डॉ.) जे.सी (2020) ''भारतीय संविधान'', एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, आगरा
41. मुंदडा (डॉ.) निशा (2010) ''नगरीय स्वशासन और महिला प्रतिनिधित्व'', सुभद्रा पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली 2010
42. दास, डी.के. लाल (2017) ''सामाजिक शोध : सिद्धान्त एवं व्यवहार'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, बैंगलोर, गुवाहाटी, कोलकत्ता
43. कुमार, राजेन्द्र (2017) ''रूरल एवं अरबन गवर्नमेन्ट'', ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
44. गुप्ता, (डॉ.) विजय कुमार तथा वर्मा, रविन्द्र कुमार (शोधार्थी) (जून 2018) ''जयपुर शहर में नगरीकरण की अभिवृत्ति : एक अध्ययन'', ECONSPEAK : A Journal of Advance in Management I T & Social Science, Vol-8, Issue - 6
45. अग्रवाल, (डॉ.) शिवाली तथा वर्मा, (कु) सोनिया (2017) '' भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीनकाल से वर्तमान समय एक'', शोध मंथन,
46. https://hi.wikipedia.org
47. https://hindiraj.com
48. https://localbodies. up.nic.in
49. https://bhaskar.com
50. https://www.vokal.in
51. https://lsg.urban.rajasthan.gov.in